| | | |
|---|---|---|
| | | II. For corresponding SGPI - SGPI X 10<br>III. For corresponding CGPI - CGPI X 10<br>IV. For corresponding DGPI - DGPI X 10 |
| 25 | **Withdrawal of Degree / Diploma /Certification** | Consequent upon being convinced, following an enquiry, the Senate may resolve to withdraw the Degree /Diploma any other certification provided by the Institute. The aggrieved may however prefer for a review of such decision by the Senate, citing cogent reasons for review or go in for an appeal to the, Board of Governors of the Institute. |
| 26 | **Power to remove the difficulties** | For the matter(s) NOT covered herein above or for unforeseen circumstances, but arising during the course of the implementation of the above ordinance, the Chairman Senate shall be authorised to remove the difficulties and decide the matters. The same shall be reported in the next meeting of the Senate. |

[F. No. 52-2/2017–TS.I]

SUKHBIR SINGH SANDHU, Addl. Secy. (TE)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2019

**का. आ. 3815(अ).**—भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 (2017 का 23), की धारा 34 (1) (2) और (3) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासी बोर्ड के अनुमोदन से सीनेट, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना के निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है।

## विषय-वस्तु

अध्यादेश ..... 176

विनियम ..... 176

आर.1 कार्यक्रम की अवधि 176

आर.2 प्रवेश 177

आर.3 फीस का ढांचा 177

आर.4 कार्यक्रम का ढांचा 177

आर.5 पाठ्यक्रम योजना 178

आर.6 संकाय परामर्शदाता 178

आर.7 कक्षा समिति 178

आर.8 नामांकन और पंजीकरण 179

आर.9 पाठ्यक्रम जोड़ना/ड्रॉप करना 179

आर.10 कार्यक्रम की न्यूनतम और अधिकतम अवधि 179

आर.11 साख पंजीकरण में लोचशीलता 179

आर.12 अध्ययन से अस्थायी अवकाश 180

आर.13 अनुशासन 180

आर.14 उपस्थिति 180

आर.15 मूल्यांकन की प्रक्रिया 181

आर.16 ग्रेडिंग प्रणाली 181

आर.17 निष्पादन विश्लेषण समिति 182

आर.18 मूल्यांकन में पारदर्शिता 182

आर.19 अनुपस्थिति का मूल्यांकन 182

आर.20 ग्रेड कार्ड 183

आर.21 परियोजना कार्य 183

आर.22 इंटर्नशिप 184

आर.23 छात्रवृत्तियां 184

आर.24 डिग्री प्रदान करने की पात्रता 184

आर.25 बी.टेक (ऑनर्स)डिग्री प्रदान करने की पात्रता 184

आर.26 संशोधन करने का अधिकार 185

आर.27 कानूनी चुनौती 185

## अध्यादेश और विनियम

1. **बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बी.टेक.)**
2. **बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (ऑनर्स) (बी.टेक. (ऑनर्स))**

### अध्यादेश

ओ.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र दो नियमित सेमेस्टर और दो अवकाश सेमेस्टर (शरद एवं ग्रीष्म) में बंटा होता है और शैक्षणिक गतिविधियों की सीनेट द्वारा अनुमोदित अनुसूची का पालन करता है।

ओ.2 बी.टेक. डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश केंद्रीय सीट आवंटन बोर्ड (सीएसएबी) और संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (जेओएसएए) के माध्यम से संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मेन्स) (जेईई (मेन्स)) के अर्हक अभ्यर्थियों से दिया जाएगा।

ओ.3 अध्ययन के विशिष्ट शाखा का प्रवेश का निर्णय संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (जेओएसएए) द्वारा लिया जाएगा।

ओ.4 बी.टेक./बी.टेक. (ऑनर्स) कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 8 सेमेस्टर और अधिकतम 12 सेमेस्टर की होगी।

ओ.5 छात्र समय-समय पर सीनेट द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन बी.टेक. कार्यक्रम के 4 सेमेस्टर के अंत में बी.टेक. (ऑनर्स) चुन सकते है।

ओ.6 बी.टेक./बी.टेक. (ऑनर्स) डिग्री सीनेट द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के विनियमों के अनुसार दी जाएगी।

### विनियम

**आर.1 कार्यक्रम की अवधि**

आर.1.1 बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री कार्यक्रम की अवधि चार शैक्षणिक वर्ष की होगी। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष लगभग बारह सप्ताह की अवधि के दो नियमित सेमेस्टरः एक विषम सेमेस्टर (सामान्यतः मध्य जुलाई-नवंबर) और एक सम सेमेस्टर (सामान्यतः जनवरी-मध्य मई) में बांटा जाता है। इसके अतिरिक्त, शरद में लगभग 4 सप्ताह और ग्रीष्म में 8 सप्ताह की अवधि के दो अवकाश अवधियां (शरद एवं ग्रीष्म) होते हैं।

आर.1.2 सीनेट द्वारा पंजीकरण, परीक्षाओं की तारीख, सेमेस्टर अवकाश इत्यादि सहित किसी सत्र के लिए शैक्षणिक गतिविधियों की अनुमोदित अनुसूची प्रत्येक सेमेस्टर के शैक्षणिक कैलेंडर में दी जाएगी।

आर.1.3 बी.टेक. कार्यक्रम की अधिकतम अवधि छः वर्ष है।

**आर.2 प्रवेश**

आर.2.1 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना में प्रवेश समय-समय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा. सं. वि. मं.), भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों द्वारा दिया जाएगा। सीटें अनुसूचित जातियों (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.), अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.), निशक्त व्यक्तियों (नि.व्य.), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और समय-समय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित होती हैं।

आर.2.2 बी.टेक. कार्यक्रम में प्रवेश मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई-मेन्स) में संगत प्रदर्शन के आधार पर प्रथम-वर्ष स्तर पर प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के विषम सेमेस्टर में दिया जाएगा। संयुक्त सीट आबंटन प्राधिकरण (जेओएसएए) की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 100 से अधिक संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त सीट आवंटन का प्रबंधन करने और उनके विनियमन के लिए की गई थी। इसमें 23- भा.प्रौ.सं., 31- रा.प्रौ.सं., 23- भा.सू.प्रौ.सं. और 23-अन्य सरकार द्वारा वित्त-पोषित तकनीकी संस्थाएं (अन्य-के.वि.पो.सं.) शामिल है। जेईई (मेन्स) में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थी भा.सू.प्रौ.सं. में सीटों के आवंटन हेतु पंजीकरण के पात्र होते हैं।

आर.2.3 यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने प्रवेश के प्रस्ताव में निर्धारित सभी आश्यकताओं को संभावित गलत सूचना इत्यादि सहित किसी भी प्रकार से पूरा नहीं किया है तो डीन-शैक्षिक मामले को अभ्यर्थी के प्रवेश को निरस्त करने की सिफारिश करते हुए सीनेट को सूचित करेगा।

आर.2.4 संस्थान छात्रों के प्रवेश को निरस्त करने और उन्हें अनुशासनहीनता अथवा किसी प्रकार के दुर्व्यवहार के आधार पर उनके कैरियर के किसी भी स्तर पर उनका अध्ययन समाप्त करने के लिए कह सकता है। अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से संस्थान की सूचना पुस्तिका अथवा पुस्तिका में निर्धारित प्रवेश के लिए अपेक्षित चिकित्सा मानकों को पूरा करना होगा।

**आर.3 फीस ढांचा**

आर.3.1 फीस ढांचे का निर्णय संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

आर.3.2 फीस भुगतान विंडो

क) फीस का भुगतान अनिवार्य रूप से प्रत्येक सेमेस्टर में निम्नलिखित दो भुगतान विंडो में किया जाना अपेक्षित होगाः

| | | |
|---|---|---|
| 1 – 30, जून, | विषम सेमेस्टर | अंतिम तिथि : 30, जून |
| 1 – 31, दिसम्बर | सम सेमेस्टर | अंतिम तिथि : 31, दिसंबर |

ख) सभी छात्रों को अंतिम तिथि तक फीस का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

ग) बैंक ऋण की सुविधा का लाभ उठाने वाले छात्रों को भी फीस का भुगतान अंतिम तिथि तक करना अपेक्षित होगा।

**आर.4 कार्यक्रम का ढांचा**

आर.4.1 बी.टेक./बी.टेक. (ऑनर्स) कार्यक्रमों का ढांचा निम्नानुसार होगाः

- संस्थान की सामान्य आवश्यकता (जीआईआर)
- कार्यक्रम कोर (पीसी)
- कार्यक्रम वैकल्पिक (पीई)
- विषय वैकल्पिक (एसई)
- अनिवार्य प्रयोगशाला आवश्यकता (ईएलआर)
- प्रेक्टिकम (पीएम)
- इंटर्नशिप
- प्रोजेक्ट कार्य

आर.4.2 ऊपर उल्लिखित घटक प्रत्येक के लिए पाठ्यक्रमों और साख की संख्या का निर्णय संस्थान की सीनेट द्वारा लिया जाएगा।

**आर.5 पाठ्यक्रम योजना**

आर.5.1 पाठ्यक्रम योजना (जीआईआर, पीसी, पीई, एसई, पीएम और ईएलआर) में पाठ्यक्रम के सिंहावलोकन, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम के परिणामों, पाठ्यक्रम शिक्षण एवं अधिगम गतिविधियों, पाठ्यक्रम मूल्यांकन पद्धति और छूट मूल्यांकन संबंधित नीति के विवरण होंगे।

आर.5.2 प्रत्येक पाठ्यक्रम में टेलर-मेड मूल्यांकन मॉडल अर्थात् सामूहिक वार्ताएं, असाइनमेंट, फील्ड दौरे से संबंधित रिपोर्ट, प्रश्न मंच, खुली पुस्तिका परीक्षाएं, प्रयोगशाला अभ्यास, मिनी-परियोजना तथा सेमेस्टर के अंत में सारांशित असेसमेंट होगा।

आर.5.3 पाठ्यक्रम के मूल्यांकन पाठ्यक्रम का परिणाम प्राप्त करने के लिए तैयार किए जाते हैं।पाठ्यक्रम की योजना में अध्ययन सामग्रियों के संबंध में सूचना के विवरण भी शामिल होंगे।

आर.5.4 किसी पाठ्यक्रम के लिए मूल्यांकन की संख्या पाठ्यक्रम दर पाठ्यक्रम चार से छः की श्रेणी में होगी।

आर.5.5. जो छात्र सही/आकस्मिक कारण से मूल्यांकन नहीं करवा पाएं हैं, केवल उन्हें अनुपस्थित मूल्यांकन अनूसूची के अनुसार एक छूट मूल्यांकन दिया जा सकता है।

आर.5.6 पाठ्यक्रम की योजना कक्षा समिति (सीसी) के अध्यक्ष और विभाग प्रमुख द्वारा अनुमोदित की जाएगी। सीसी और विभाग प्रमुख द्वारा अनुमोदित एक प्रति शैक्षिक अधिकारी को भेजी जएगी।

आर.5.7 संस्थान द्वारा प्रदत्त सभी पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम की योजनाएं संकाय सदस्यों और छात्रों के संदर्भ के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी।

**आर.6 संकाय परामर्शदाता**

आर.6.1 विभाग प्रमुख पहले वर्ष में कुछ छात्रों को एक संकाय सदस्य, संकाय परामर्शदाता (सं.प.) देगा।

आर.6.2 इस प्रकार छात्र कार्यक्रम पूरा करने तक उस सं.प. के दिशा-निर्देश के अंतर्गत कार्य करना जारी रखेंगे।

आर.6.3 सं.प. की एक सेमेस्टर में न्यूनतम 2-3 बैठकें होंगी और वह शैक्षिक कार्यक्रम अथवा किसी अन्य गतिविधि के संबंध में सामान्य सलाह देगा।

आर. 6.4 सं.प. छात्र मूल्यांकन रिकार्ड (स्टार) बनाए रखेगा।

**आर.7 कक्षा समिति (सीसी)**

**आर.7.1 सीसी का गठन**

**प्रत्येक कक्षा के लिए, विभाग प्रमुख द्वारा एक कक्षा समिति का गठन किया जाएगा, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:**

| | |
|---|---|
| **अध्यक्ष** | एक संकाय सदस्य जो उस कक्षा को नहीं पढ़ा रहा हो |
| **सदस्य** | 1. अध्ययन के सभी पाठ्यक्रमों के संकाय<br>2. विभाग प्रमुख द्वारा नामित किए जाने वाले कक्षा के चार छात्र |

**आर. 7.2 कक्षा समिति के कार्य**

क) कक्षा समिति की सेमेस्टर के दौरान तीन बैठकें होंगी। पहली बैठक उस सेमेस्टर के आरंभ होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर आयोजित की जाएगी जिसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए बोर्ड मूल्यांकन प्रक्रिया पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

ख) सीसी की पहली बैठक के दौरान सभी संकाय सदस्य अनुमोदन के लिए तथा वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए अध्यक्ष (सीसी) को अपने पाठ्यक्रम प्लान प्रस्तुत करेंगे।

ग) दूसरी और तीसरी बैठकें अर्थपूर्ण संपर्क, विचारों की अभिव्यक्ति और प्रतिपुष्टि के लिए सेमेस्टर के आरंभ होने से क्रमशः छः सप्ताह और दस सप्ताह के पश्चात् आयोजित की जाएंगी। यह शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की प्रभाविता में सुधार करने के लिए सुझाव आमंत्रित करेगी और मूल्यांकन में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगी।

घ) सीसी के अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से विभाग प्रमुख के माध्यम से डीन (शैक्षिक) को सीसी की बैठकों के कार्यवृत्त भेजने चाहिए।

ङ) सीसी/ विभाग प्रमुख द्वारा पाठ्यक्रम योजना में किसी असहमत नवाचार को अनुमोदनार्थ सीनेट के अध्यक्ष को भेजा जाएगा।

**आर.8 नामांकन और पंजीकरण**

आर.8.1 पहले वर्ष के पहले सेमेस्टर को छोड़कर प्रत्येक सेमेस्टर का पहला कार्य दिवस पंजीकरण दिवस होगा। छात्र संस्थान को दी गई फीस की प्राप्ति के साक्ष्य के साथ सेमेस्टर के दौरान लिए गए पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करवाएंगे।

आर.8.2 कोई छात्र नामांकन के लिए केवल तब पात्र होगा यदि उस छात्र ने संस्थान, छात्रावास, पुस्तकालय इत्यादि की सभी देनदारियां पिछले सेमेस्टर के अंत तक पूरी कर दी हों बशर्ते कि छात्र को संस्थान की अनुशासनात्मक समिति (आईडीसी) द्वारा नामांकन से बाधित न किया गया हो।

आर.8.3 छात्र से पाठ्यचर्या में यथानिर्धारित पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करवाने की आशा की जाती है।

**आर.9 पाठ्यक्रम जोड़ना/ड्रॉप करना**

यदि कोई छात्र पूर्व-पंजीकृत पाठ्यक्रमों में संशोधन करना चाहता है तो वह छात्र संकाय परामर्शदाता और संबंधित पाठ्यक्रम के अनुदेशक के अनुमोदन के साथ शैक्षिक कैलेंडर में उल्लिखित पाठ्यक्रम जोड़ने अथवा ड्रॉप करने की समय-सीमा के भीतर सेमेस्टर के आरंभ होने के पश्चात् पाठ्यक्रम जोड़ अथवा ड्रॉप कर सकता है। तथापि, छात्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी सेमेस्टर में पंजीकृत सखो की कुल संख्या न्यूनतम साख आवश्यकताओं की संख्या को प्राप्त करने में उसे समर्थ बनाती हो।

**आर.10 कार्यक्रम की न्यूनतम और अधिकतम अवधि**

बी.टेक. और बी.टेक. (ऑनर्स) कार्यक्रम के लिए न्यूनतम अवधि आठ सेमेस्टर हैं। तथापि, छात्र धीमी गति से कार्यक्रम को पूरा कर सकता है परंतु किसी भी स्थिति में आर.12 के अनुसार चिकित्सा आधार पर सेमेस्टर से नाम वापस लेने की स्थिति को छोड़कर अध्ययन की अधिकतम अवधि से यह अवधि अधिक नहीं होगी।

**आर.11** साख **पंजीकरण में लोचशीलता**

छात्रों द्वारा यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर ली जा सकती है। पाठ्यचर्या में छात्रों के लिए किसी भी सेमेस्टर में कम संख्या में कार्यक्रम वैकल्पिक /निर्धारित विषय वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करवाने की गुंजाइश होती है। सभी निर्धारित पाठ्यक्रम अध्ययन कार्यक्रम की अधिकतम अवधि के भीतर पूरे किए जाने चाहिए।

**आर.12 अध्ययन से अस्थायी अवकाश**

आर.12.1 डीन (शैक्षिक) द्वारा विभाग प्रमुख की सिफारिश पर उचित कारण से किसी सेमेस्टर से कार्यक्रम से नाम वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है। अपवादिक मामलों में कार्यवाही सीनेट द्वारा की जाएगी। पुनः प्रवेश पर ऐसे छात्रों के लिए निम्नलिखित लागू होंगेः

क) ऐसे छात्र जिसे अध्ययन बंद करने की अनुमति दी गई हो वह उक्त सेमेस्टर के सामान्य आरंभ होने के समय केवल नियमित छात्रों के साथ ही उचित सेमेस्टर के लिए उन्हें पुनः प्रवेश कर सकता है।

ख) ऐसे छात्र जो अध्ययन बंद कर देते हैं और पुनः प्रवेश करते हैं, वे पाठ्यक्रम में उन्हें प्रवेश के समय लागू नियमों, विनियमों, अध्ययन पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमों द्वारा अभिशासित होंगे।

**आर.13 अनुशासन**

आर.13.1 प्रत्येक छात्र को कैंपस के भीतर और बाहर दोनों में अनुशासन और अच्छे व्यवहार का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है और उसे ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए जो संस्थान के सम्मान को क्षति पहुंचाए।

आर.13.2 परीक्षा हॉल में सामान्य आचरण

क) छात्रों को परीक्षा हॉल/प्रयोगशालाओं में पाठ्यक्रम के संकाय सदस्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए। छात्रों द्वारा शैक्षिक बेईमानी को हतोत्साहित करने की संस्थान की नीति निम्नानुसार हैः

ख) किसी भी प्रकार की बेईमानी को तत्काल विभागीय अनुशासन समिति (डीडीसी) को सूचित किया जाएगा और इस समिति की सिफारिश अंतिम होगी तथा छात्र के लिए बाध्यकारी होंगी।

ग) संस्थान की अनुशासन समिति (आईडीसी) का संकाय सदस्य, डीन (शैक्षिक), अध्यक्ष (पीएसी) और विभाग प्रमुख के साथ गठन किया जाएगा। आईडीसी अनुशासनहीनता के तथ्यों की जांच करेगी और अनुशासनहीनता के स्तर के साथ दंडात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।

आर.13.3 शैक्षिक अपीलीय समिति (एएसी)

इस समिति का गठन संस्थान के विभिन्न स्वायत्त अवर स्नातक कार्यक्रमों के सुगम संचालन के लिए किया जाता है और इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:

| | |
|---|---|
| डीन (शैक्षिक) | संयोजक |
| डीन (छात्र) | सदस्य |
| संबंधित विभाग प्रमुख/समन्वयक | सदस्य |

यह समिति आईडीसी के कार्यक्षेत्र से इतर पाठ्यक्रम योजना, शैक्षणिक इत्यादि से संबंधित सभी मुद्दों को देखेगी। समिति की बैठक सीनेट के अध्यक्ष द्वारा जब भी आवश्यक समझा जाए और सुधारात्मक अथवा दंडात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिश की गई हो, के अनुसार होगी।

आर.13.4 किसी भी प्रकार की रैगिंग हमारे देश में गैर-जमानती अपराध है। वर्तमान राज्य एवं केंद्रीय विधान द्वारा कारागार सहित इसके लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। एक बार किसी छात्र के रैगिंग में संलिप्त होना सिद्ध हो जाता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

**आर.14 उपस्थिति**

आर.14.1 75 प्रतिशत उपस्थिति (चिकित्सा/खेल/संस्थान के प्रतिनिधित्व इत्यादि के मामले में) अनिवार्य हैं। हालांकि सभी पाठ्यक्रमों के लिए 100 प्रतिशत उपस्थिति को प्रोत्साहित किया जाता है।

आर.14.2 ग्रेड कार्ड में उपस्थिति लेटर ग्रेड हो सकते है।

| **प्रतिशत श्रेणी** | **ग्रेड** |
|---|---|
| 95-100% | अच्छा |

| | |
|---|---|
| 81-94% | मध्यम |
| 75-80% | संतोषजनक |

**आर.15 मूल्यांकन की प्रक्रिया**

प्रत्येक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन उक्त पाठ्यक्रम का संचालन करने वाले संकाय सदस्य द्वारा तैयार की गई पाठ्यक्रम योजना के अनुसार किया जाएगा। मूल्यांकन महत्व का निर्णय संकाय सदस्य द्वारा लिया जाएगा और यह निम्नानुसार होता है:

| क्र.सं. | मूल्यांकन पद्धति | अवधि | वेटेज |
|---|---|---|---|
| 1 | मूल्यांकन – I | 60 मिनट | 20% |
| 2 | मूल्यांकन –II | 60 मिनट | 20% |
| 3 | प्रोग्रामिंग/डेमोनस्ट्रेबल/प्रोबलम सोल्विंग असाइनमेंट | _ | 20% |
| 4 | अंतिम सेमेस्टर परीक्षा | 180 मिनट | 40% |

**आर.16 ग्रेडिंग प्रणाली**

आर.16.1 लेटर ग्रेड और संगत ग्रेड प्वाइंट निम्नानुसार हैं:

| लेटर | एस | ए | बी | सी | डी | ई | आई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रेड प्वाइंट | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 |

आर.16.2 संस्थान ग्रेड के लिए अंकों की श्रेणी का निर्णय लेने हेतु शिक्षकों को दी गई लोचशीलता के साथ संगत ग्रेडिंग का अनुपालन करता है। किसी पाठ्यक्रम के लिए सभी मूल्यांकन अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

आर.16.3 छात्रों को क्रमशः '10', '9', '8', '7', '6', '5', '0' के क्रेडिट प्वाइंट के साथ लेटर ग्रेड 'एस', 'ए', 'बी', 'सी', 'डी', 'ई' और 'आई' के किसी बैंड में रखा जाएगा।

आर.16.4 किसी पाठ्यक्रम को पूरा होने के लिए कट-ऑफ अंको को $\frac{\overline{X}}{2}$अथवा$\frac{X_{max}}{3}$, जो भी कम हो के रूप में लिया जाएगा जबकि$\overline{X}$कक्षा का मीन होगा और $X_{max}$कक्षा में प्राप्त किए गए अधिकतम अंक होंगे। कट-ऑफ अंक से अधिक अंक पाने वाले छात्रों को क्रमशः सर्वोच्च छः बैंड 10, 15, 25, 25, 15, 10 प्रतिशत में उपयुक्त रूप से रखा जाएगा। कट-ऑफ अंकों से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सबसे निचले बैंड ('आई') में रखा जाएगा।

आर.16.5 शिक्षक ग्रेड का निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित किसी भी पद्धति को अपना सकते हैः (क) सामान्यीकृत कर्व, (ख) जेड़-अंक, और (ग) गैप थ्योरी।

आर.16.6 सामान्य रूप से 'एस' ग्रेड पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक प्रतिबंधित होता है। तथापि, ईएलआर और परियोजना कार्य के लिए इस सीमा से आगे अधिकतम ग्रेड पाने वाले छात्रों की संख्या का निर्णय पीएसी द्वारा लिया जाएगा।

आर.16.7 विषय के संकाय सदस्य द्वारा अपनाई गई ग्रेडिंग ढांचा पीएसी और तदंतर सीनेट की जांच के अधीन होगा।

आर.16.8 ग्रेडिंग से संबंधित किसी भी मुद्दें का निर्णय सीनेट के अध्यक्ष के परामर्श से डीन (शैक्षिक) द्वारा लिया जाएगा।

आर.16.9 निष्पादन विश्लेषण समिति (पीएसी) की सेमेस्टर में सभी परीक्षाएं पूरी होने के पश्चात् सात दिन के भीतर बैठक होगी। यह समिति पाठ्यक्रम के सभी मूल्यांकनों में छात्रों के संगत संचयी प्रदर्शन का विश्लेषण करेगी और पाठ्यक्रम के लेटर ग्रेड के लिए अंकों की श्रेणी को अंतिम रूप देगी।

आर.16.10 ऐसे छात्र जो किसी उचित कारण से किसी पाठ्यक्रम के अंतिम मूल्यांकन में भाग नहीं ले सके थे, उन्हें 'आई' ग्रेड दिया जाएगा। ऐसे छात्र अनुपूरक परीक्षा में भाग लेने के पात्र होंगे जो किसी सेमेस्टर के पंजीकरण से एक सप्ताह पहले आयोजित की जाएगी। मूल्यांकन की महत्व अंतिम मूल्यांकन जिसके लिए छात्र भाग नहीं ले सका था, के समान होगी। पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाला संकाय सदस्य ही मूल्यांकन करेगा और छात्र को सभी पिछले मूल्यांकनों और ग्रेड की श्रेणी पर विचार करते हुए उचित ग्रेड ('एस' से 'आई' की श्रेणी में) प्रदान करेगा।

**आर.17 निष्पादन विश्लेषण समिति (पीएसी)**

आर.17.1 पीएसी में वही सदस्य शामिल होंगे जो कक्षा समिति में शामिल होते हैं परंतु इसमें विभाग प्रमुख भी शामिल होंगे और छात्र सदस्य शामिल नहीं होंगे। पीएसी की बैठक अध्ययन के सभी पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए ग्रेड की श्रेणी को अंतिम रूप देने के लिए अंतिम मूल्यांकन के अंतिम दिन से सात दिन के भीतर आयोजित की जाएगी। ग्रेडों का विवरण विभाग प्रमुख के माध्यम से बैठक के तुरंत बाद डीन (शैक्षिक) को प्रेषित किया जाएगा। पीएसी को समेकित बुद्धिमता से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्लस्टरिंग/ग्रेडिंग के निर्णय उपयुक्त हैं।

आर.17.2 रजिस्टर में प्रविष्ट मूल्यांकन अंकों, ग्रेड और ग्रेड-श्रेणियों के साथ सभी पाठ्यक्रमों के उपस्थिति रजिस्टर विभाग प्रमुख के माध्यम से तुरंत डीन (शैक्षिक) को भी भेजे जाएंगे।

आर.17.3 डीन (शैक्षिक) ग्रेडों के विवरण (और उपस्थिति रजिस्टर) की निगरानी करेगा। यदि डीन (शैक्षिक) द्वारा किसी समस्या को हल नहीं किया जा सकता है तो अध्यक्ष (सीनेट) उस का निवारण करने के लिए प्राधिकृत है। परिणाम डीन (शैक्षिक) द्वारा घोषित किए जाएंगे।

**आर.18 मूल्यांकन में पारदर्शिता**

आर.18.1 छात्र मूल्यांकन की मूल्यांकित उत्तर पांडुलिपि की समीक्षा कर सकते हैं और संबंधित संकाय सदस्य द्वारा उनका पुनः योग/पुनः मूल्यांकन करवा सकते हैं।

आर.18.2 छात्रों द्वारा अगला सेमेस्टर पुनः आरंभ होने के पश्चात वरीयता रूप से दो सप्ताह के भीतर विशिष्ट अवधि के भीतर अंतिम सेमेस्टर मूल्यांकित उत्तर पाण्डुलिपि देखी जा सकती है और यदि आवश्यक हो तो संबंधित संकाय सदस्य द्वारा उनका पुनः योग करवाया जा सकता है। इससे ग्रेड परिवर्तित हो सकता है अथवा परिवर्तित नहीं हो सकता है।

आर.18.3 यदि अंतिम सेमेस्टर उत्तर पांडुलिपि के मूल्यांकन की उचित कारण से आवश्यकता होती है तो इसकी संस्थान के विभाग प्रमुख निदेशक द्वारा अनुमति दी जाएगी।

आर.18.4 तथापि, मूल्यांकन के कार्य के पुनः मूल्यांकन में कोई शिकायत होती है जिसे पाठ्यक्रम के प्रभारी संकाय सदस्य/विभाग प्रमुख द्वारा हल नहीं किया जा सका हो तो डीन (शैक्षिक) यह जांच करने के पश्चात् कि शिकायत उचित है, मामले को उपयुक्त सुधारात्मक उपायों के लिए सीनेट के अध्यक्ष को इसकी सिफारिश कर सकता है।

आर.18.5 पुनः योग/पुनः मूल्यांकन इत्यादि के परिणामस्वरूप ग्रेड में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो अध्यक्ष, सीनेट द्वारा उसकी अनुमति दी जाएगी।

**आर.18.6 मूल्यांकन सामग्री को रखना**

उत्तर पाण्डुलिपि (मूल्यांकन के सभी प्रकार) को शैक्षिक लेखापरीक्षा को सुगम बनाने के लिए न्यूनतम दो शैक्षिक वर्षों के लिए संकाय सदस्य के पास रखी जाएगी। इसके पश्चात्, संकाय सदस्य द्वारा इस सामग्री का निपटान/स्थायी रूप से हटा दिया जाए।

**आर.19 अनुपस्थिति का मूल्यांकन**

आर.19.1 यदि कोई छात्र किसी उचित कारण से किसी कक्षा मूल्यांकनों से अनुपस्थित रहता है तो उस छात्र का मूल्यांकन अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा के एक सप्ताह के पश्चात किया जाएगा।

आर.19.2 मूल्यांकन में अनुपस्थित छात्र को संबंधित महत्व नहीं दी जाएगी।

आर.19.3 यदि छात्र अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसे अपूर्ण 'आई' ग्रेड दिया जाएगा।

आर.19.4 प्रत्येक सेमेस्टर (पहले सेमेस्टर को छोड़कर) के आरंभ होने से पहले अपूर्ण ग्रेड 'आई' वाले छात्र अनुपूरक परीक्षा में बैठेंगे।

आर.19.5 **अनुपूरक परीक्षा का आयोजन**

'आई' ग्रेड वाले छात्र अनुपूरक परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाएंगे। अनुपूरक परीक्षा किसी सेमेस्टर के पंजीकरण से एक सप्ताह पहले आयोजित की जाएगी। 'आई' ग्रेड को पूर्व के निरंतर मूल्यांकनों और ग्रेड की श्रेणी पर विचार करते हुए उपयुक्त ग्रेड में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

**आर.20 ग्रेड कार्ड**

आर.20.1 परिणाम घोषित होने के पश्चात् प्रत्येक छात्र को ग्रेड कार्ड जारी किए जाएंगे जिनमें उपस्थिति ग्रेड, साख और उत्तीर्ण होने के वर्ष के साथ छात्र द्वारा प्राप्त ग्रेडों सहित उक्त सेमेस्टर के लिए पाठ्यक्रमों की सूची शामिल होंगी।

आर.20.2 सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (एसजीपीए) किसी पाठ्यक्रम के साख की संख्या के उत्पाद के जोड़ का अनुपात $(C_i)$और सभी पाठ्यक्रमों के लिए लिए गए उक्त पाठ्यक्रम में प्राप्त ग्रेड प्वाइंट $(GP_i)$ में उस सेमेस्टर में सभी पाठ्यक्रमों के साख की संख्या $(n)$ का जोड़ होगा;

$$\text{एसजीपीए} = \frac{\sum_1^n C_i \times GP_i}{\sum_1^n C_i}$$

जबकि $n$ उक्त सेमेस्टर में पाठ्यक्रमों की संख्या है।

आर. 20.3 प्रत्येक सेमेस्टर के लिए संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) का आकलन निम्नानुसार किया जाएगा:

$$\text{सीजीपीए} = \frac{\sum_1^N C_i \times GP_i}{\sum_1^N C_i}$$

जबकि$(C_i)$ साख हैं और $(GP_i)$इस सेमेस्टर तक सभी $N$पाठ्यक्रमों में छात्र द्वारा प्राप्त किए गए ग्रेड प्वाइंट है।

**आर.21 परियोजना कार्य (पीडब्ल्यू)**

आर.21.1 बी.टेक. कार्यक्रम के लिए परियोजना का मूल्यांकन एक परियोजना निगरानी समिति (पीएमसी) द्वारा किए जाएगा जिसमें विभाग प्रमुख अथवा नामिति (अध्यक्ष), परियोजना समन्वयक और परियोजना गाइड शामिल होंगे।

आर.21.2 परियोजना कार्य का सतत मूल्यांकन निम्नानुसार है:

परियोजना कार्य चरण – I, का सेमेस्टर V के अंत में मूल्यांकन किया जाएगा।

परियोजना कार्य चरण – II, का सेमेस्टर VII के मध्य और अंत में मूल्यांकन किया जाएगा।

परियोजना कार्य चरण – III, का सेमेस्टर VIII में निम्नानुसार मूल्यांकन किया जाएगा:

| आंतरिक मूल्यांकन | भार | अनुसूची |
|---|---|---|
| प्रथम समीक्षा | 10% | सेमेस्टर आरंभ होने से छः सप्ताह |
| द्वितीय समीक्षा | 20% | सेमेस्टर आरंभ होने से दस सप्ताह |
| डेमो | 30% | अंतिम सेमेस्टर परीक्षा आरंभ होने से पहले दो सप्ताह |

आर.21.3 अंतिम परियोजना मौखिक की 40 प्रतिशत महत्व होगी और यह भा.वि.सं./ भा.प्रौ.सं./ रा.प्रौ.सं./ भा.सू.प्रौ.सं./सरकारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं/सरकार और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आंतरिक/बाह्य परीक्षकों के साथ परियोजना निगरानी समिति (गाइड और विभाग प्रमुख अथवा नामिति) द्वारा ली जाएगी।

आर.21.4 बी.टेक. कार्यक्रम के दूसरे वर्ष में परियोजना कार्य के लिए सामान्यतः अनुमति नवाचारी और प्रख्यात उद्योग/संस्थान से संबंधित कार्य के लिए दी जाएगी। ऐसी परियोजनाओं की निगरानी VIII सेमेस्टर तक प्रत्येक सेमेस्टर में की जाएगी। यदि इसकी प्रगति संतोषजनक रहती है तो छात्र VIII सेमेस्टर तक उसी परियोजना को जारी रख सकता है।

**आर.22 इंटर्नशिप**

आर.22.1 छात्र को छठे सेमेस्टर के दौरान किसी प्रतिष्ठित उद्योग, सरकार द्वारा प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास संगठन में न्यूनतम पांच महीने की अवधि के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण/इंटर्नशिप करनी चाहिए। देश के भीतर किसी शैक्षिक संस्थान (भा.वि.सं./ भा.प्रौ.सं./ रा.प्रौ.सं./ भा.सू.प्रौ.सं./ और के.वि.पो.सं.) अथवा विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ संबद्धन की भी औद्योगिक प्रशिक्षण के स्थान पर विशेष अनुमति के साथ आपवादिक मामलों में भी अनुमति दी जाएगी।

आर.22.2 छात्रों को उद्योग, आरएंडडी संगठनों अथवा शैक्षिक संस्थानों से प्राप्त किए गए प्रमाण-पत्र के साथ मई के अंतिम सप्ताह के दौरान एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। इंटर्नशिप में प्रदर्शन का मूल्यांकन रिपोर्ट तथा मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। मौखिक परीक्षा के लिए परीक्षक विभाग प्रमुख तथा कार्यक्रम समन्वयक अथवा नामित होंगे।

**आर.23 छात्रवृत्ति**

वर्तमान में संस्थान कोई संस्थागत स्तर की छात्रवृत्ति प्रदान नहीं करता है। तथापि, छात्र पात्रता के अनुसार भारत सरकार/राज्य सरकार तथा अन्य से छात्रवृत्तियों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि संस्थान के स्तर पर किसी प्रतिभागी अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है तो उसे छात्रों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा।

**आर.24 बी.टेक. डिग्री प्रदान करने की पात्रता**

कोई छात्र प्रौद्योगिकी स्नातक (बी.टेक.) डिग्री प्रदान करने के लिए केवल तब पात्र होगा यदिः

क) छात्र ने अध्ययन के संगत कार्यक्रम की पाठ्यचर्या में निर्दिष्ट न्यूनतम कुल क्रेडिटों की संख्या प्राप्त करते हुए अध्ययन के निर्धारित कार्यक्रम को पूरा किया हो।

ख) छात्र ने न्यूनतम 5 सीजीपीए प्राप्त किया हो।

ग) छात्र की संस्थान, पुस्तकालय, छात्रावास इत्यादि के प्रति कोई देनदारी बकाया न हो।

घ) छात्र के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित न हो।

**आर.25 बी.टेक. (ऑनर्स) डिग्री प्रदान करने की पात्रता**

छात्र प्रौद्योगिकी स्नातक (ऑनर्स) की डिग्री प्रदान करने के लिए केवल तब पात्र होगा यदिः

क) छात्र ने पहले चार सेमेस्टरों में 8 और उसके ऊपर के एसजीपीए के साथ निर्धारित अध्ययन कार्यक्रम पूरा किया हो।

ख) छात्र ने V सेमेस्टर से प्रत्येक सेमेस्टर में तीन साख के संस्थान द्वारा चार अतिरिक्त निर्धारित, मान्यता प्राप्त और अनुमोदित खुले वैकल्पिक (एनपीटीईएल/स्वयं/एमओओसी) पूरे किए हों।

ग) छात्र ने सेमेस्टर V से VIII तक 8.5 और उसके ऊपर का एसजीपीए प्राप्त किया हो।

घ) छात्र ने सभी सेमेस्टरों में 8.5 और उसके ऊपर का समग्र सीजीपीए अंक प्राप्त किया हो।

ङ) छात्र की कोई बैकलॉग न हो और कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित न हो।

च) बी.टेक. (ऑनर्स) के लिए पंजीकृत छात्र परंतु जो (क) और (ङ) को पूरा करने में विफल रहा हो, उसे खंड आर.24 को संतोषजनक तरीके से पूरा करने के पश्चात बी.टेक. विषय की डिग्री प्रदान की जाएगी।

**आर.26 संशोधन का अधिकार**

उपरोक्त कथित सभी बातों में किसी बात के होते हुए भी सीनेट के पास बाद की किसी तारीख पर संज्ञान में लाए गए किसी संशोधन को अनुमोदित करने का अधिकार होगा।

**आर.27 कानूनी चुनौती**

नियमों और विनियमों में उल्लिखित किसी खंड/प्रावधान को यदि ऊना के न्याय क्षेत्र के अधीन विधि न्यायालय में चुनौती दी जाती है तो न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी होगा।

[फा. सं. 52-2/2017- त.शि.I]

सुखबीर सिंह संधू, अपर सचिव (त.शि.)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd October, 2019

**S.O. 3815(E).—**In exercise of the powers conferred by section 33 read with section 34 (1) (2) and (3) of the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017 (23 of 2017), the Senate with the approval of the Board of Governors, make the following Ordinances of Indian Institute of Information Technology, Una.

**Contents**

ORDINANCES..... 186

REGULATIONS ..... 186

R. 1 Duration of Program 186

R. 2 Admission 187

R. 3 Fee Structure 187

R. 4 Structure of Program 187

R. 5 Course Plan 188

R. 6 Faculty Mentor 188

R. 7 Class Committee 188

R. 8 Enrolment and Registration 188

R. 9 Course Add/Drop 189

R. 10 Minimum and Maximum Duration of Program 189

R. 11 Flexibility in Credit Registration 189

R. 12 Temporary Break of Study 189

R. 13 Discipline 189

| | | |
|---|---|---|
| R. 14 | Attendance | 190 |
| R. 15 | Assessment Procedure | 190 |
| R. 16 | Grading System | 190 |
| R. 17 | Performance Analysis Committee | 191 |
| R. 18 | Transparency in Assessment | 191 |
| R. 19 | Absentee Assessment | 191 |
| R. 20 | Grade Cards | 192 |
| R. 21 | Project Work | 192 |
| R. 22 | Internship | 193 |
| R. 23 | Scholarships | 193 |
| R. 24 | Eligibility for Award of Degree | 193 |
| R. 25 | Eligibility for Award of B.Tech. (Honors) Degree | 193 |
| R. 26 | Power to Modify | 193 |
| R. 27 | Legal Challenge | 193 |


ORDINANCES AND REGULATIONS

1. **Bachelor of Technology (B. Tech.)**
2. **Bachelor of Technology (Honors) (B.Tech. (Honors))**

**ORDINANCES**

O. 1 Each academic session is divided into two regular semesters and two vacation semesters (Winter and Summer) and follows a Senate approved schedule of academic activities.

O. 2 Admission to B.Tech. Degree program will be made from the qualified candidates of Joint Entrance Examination (Mains) (JEE (Mains)) through Central Seat Allocation Board (CSAB) and Joint Seat Allocation Authority (JoSAA).

O. 3 Admission to a particular branch of study shall be as decided by JoSAA.

O. 4 The duration of the B.Tech./B.Tech.(Honors) program will be minimum 8 semesters and maximum 12 semesters.

O. 5 Student can opt for B.Tech. (Honors) at the end of the fourth semester of B.Tech. Program subject to the conditions prescribed by the Senate from time to time.

O. 6 The award of the B.Tech./B.Tech.(Honors) degrees hall be in accordance with the regulations of the program approved by theSenate.

**REGULATIONS**

**R-1 Duration of Program**

R. 1.1 The duration of the program for the Degree of Bachelor of Technology will be four academic years. Each

academic year is divided into two regular semesters of approximately twenty weeks duration: an Odd Semester (normally mid July-November) and an Even Semester (normally January-mid May). Further, there are two vacation periods (Winter and Summer) of nearly 4 weeks in winters and 8 weeks duration in summers.

R. 1.2 The Senate approved schedule of academic activities for a session, including dates of registration, examinations, semester breaks, etc., shall be laid down in the academic calendar of each semester.

R. 1.3 Maximum period for B. Tech. program is six years.

**R-2 Admission**

**R. 2.1** Admission to Indian Institute of Information Technology Una will be made by the instructions received from the Ministry of Human Resource Development (MHRD), Government of India from time to time. Seats are reserved for candidates belonging to Scheduled Castes (SC), Schedules Tribes (ST), Other Backward Classes (OBC), Persons with Disability (PwD), Economically Weaker Section (EWS) and other categories as per the guidelines issued by the MHRD from time to time.

**R. 2.2** Admission to B.Tech. Programs will be made in the odd semester of each academic year at the first-year level based on the relative performance in the Joint Entrance Examination (JEE-Mains) as per the guidelines issued by the MHRD, New Delhi. The Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) was set up by the MHRD to manage and regulate the joint seat allocation for admissions to more than 100 Institutes. This includes 23-IITs, 31-NITs, 23-IIITs and 23-otherGovernment Funded Technical Institutes (other-GFTIs). All candidates who have appeared in JEE (Mains) are eligible to register for seat allocation in IIITs.

**R. 2.3** If, at any time after admission, it is found that a candidate had not fulfilled all the requirements stipulated in the offer of admission, in any form what so ever, including possible misinformation, etc., the Dean-Academic shall report the matter to the Senate recommending for cancelling the admission of the candidate.

**R. 2.4** The Institute reserves the right to cancel the admission of students and ask them to discontinue their studies at any stage of their career on the grounds of indiscipline or any misconduct. Candidates must fulfill the medical standards required for admission as prescribed in the Institute Information Brochure or the Prospectus.

**R-3 Fee Structure**

R. 3.1 Fee structure will be as decided by the competent authority of the Institute.

R. 3.2 Fee Payment Window

a) Fee must be paid in the following two payment windows one in each semester:

| | | |
|---|---|---|
| 1 – 30, June | Odd Semester | Deadline : 30, June |
| 1 – 31, December | Even Semester | Deadline : 31, December |

b) All students must have paid the fee by the deadline.

c) Students availing bank loans also must have paid the fee by the deadline.

**R) Structure of Program**

**R. 4.1** Structure of the B.Tech./ B.Tech. (Honors) Programs shall have the following:

- General Institute Requirement (GIR)
- Program Core (PC)
- Program Elective (PE)
- Stream Elective (SE)
- Essential Laboratory Requirement (ELR).
- Practicum (PM)
- Internship
- Project Work

R. 4.2 The number of courses and credits for each of the above mentioned components will be as directed by the Senate of the institute.

**R) Course Plan**

R. 5.1 The course plan (GIR, PC, PE, SE, PM and ELR) will have details of the overview of the course, course objectives, course outcomes, course teaching and learning activities, course assessment methods, and policy on compensation assessment.

R. 5.2 Each course will have tailor-made assessment models, viz., group tasks, assignments, report on field visit, quizzes, open book tests, laboratory exercises, mini-project, and end of semester summative assessment, etc.

R. 5.3 The assessments of a course are designed to achieve the course outcomes. The course plan will also have details of information on study materials.

R. 5.4 The number of assessments for a course shall range from four to six and shall be varying from course to course.

R. 5.5 Students who miss any of the assessments for genuine/ emergency reasons only may be given one compensation assessment as per the absentee assessment schedule.

R. 5.6 The course plan shall be approved by the Class Committee (CC) chairperson and the HoD. A copy approved by the CC and the HoD shall be sent to the Academic Office.

R. 5.7 The course plans for all courses offered by the Institute will be available on the website for reference of the faculty members and students.

**R-6 Faculty Mentor**

R. 6.1 The HoD assigns a faculty member, Faculty Mentor (FM), to a certain number of students in the first year.

R. 6.2 The students thus assigned will continue under the guidance of this FM until they complete the program.

R. 6.3 The FM will meet the students at least 2-3 times in a semester and render general advice regarding either the academic program or any other activity.

R. 6.4 The FM will maintain the Student Appraisal Records (STAR).

**R-7 Class Committee (CC)**

R. 7.1 **Constitution of the CC**

For every class, a CC shall be constituted by the HoDs, as given below:

| | |
|---|---|
| **Chairperson** | A faculty member not teaching that particular class |
| **Members** | 1. Faculty of all the courses of study<br>2. Four students from the class to be nominated by the HoD |

R. 7.2 **Functions of Class Committee**

a) The class committee shall meet thrice during the semester. The first meeting will be held within one week from the date of commencement of the semester in which the nature of the broad assessment procedure for the different courses will be discussed.

b) During the first meeting of the CC, all the faculty members shall give their course plan to the chairperson (CC) for the approval and to upload on the website.

c) The second and third meetings will be held after six weeks and ten weeks respectively from the commencement of a semester for the meaningful interaction, expression of the opinions, and feedback. It will invite suggestions to improve the effectiveness of the teaching - learning process and evaluate the performance of the students in the assessments.

d) The chairperson of the CC should send the minutes of the CC meetings to the Dean (Academic) through the HoD, with immediate effect.

e) Any disagreed innovation in the course plan by the CC/HoD will be referred to the Chairperson of the Senate for the approval.

**R8) Enrolment and Registration**

R. 8.1 Except for the first semester of the first year, the first working day of every semester will be the registration day. The student shall register for the courses opted during the semester along with the proof of fee-receipt to

the Institute.

R. 8.2 A student will be eligible for enrolment only if the student has cleared all the dues to the Institute, Hostel, Library, etc., till the end of the previous semester, provided the student is not debarred for enrolment by the Institute Disciplinary Committee (IDC).

R. 8.3 A student is expected to register for courses as prescribed in the curriculum.

**R9) Course Add/ Drop**

If a student wants to modify the pre-registered courses, student may do so by adding or dropping courses after the start of the semester within the course add or drop deadline mentioned in the Academic Calendar with the approval of Faculty Mentor and the concerned course instructors. However, the student should ensure that the total number of credits registered in any semester should enable them to earn the minimum number of credit requirements.

**R10) Minimum and Maximum Duration of Program**

The minimum duration for B. Tech. and B. Tech. (Honors) programs is eight semesters. However a student may complete the program at a slower pace, but in any case not more than the maximum period of study excluding semesters withdrawn on medical grounds, etc., as per R. 12.

**R11) Flexibility in Credit Registration**

This facility may be availed by students on voluntary basis. The curriculum has scope for students to register for less number of Program Elective/ Stream Elective courses prescribed in any semester. All the prescribed courses must be completed within the maximum period of program of study.

**R12) Temporary Break of Study**

R. 12.1 A student may be permitted by the Dean (Academic) to withdraw from the program for any semester for genuine reasons on the recommendation of HoD. Exceptional cases will be handled by the Senate. The following shall be applicable for such students on re-joining:

a) A student who is permitted to discontinue may rejoin the course at the appropriate semester only along with the regular students at the time of normal commencement of that semester.

b) A student who discontinues and rejoins shall be governed by the rules, regulations, courses of study, and syllabus in force, at the time of rejoining the course.

**R13) Discipline**

R. 13.1 Every student is required to observe discipline and decorous behavior both inside and outside the campus and not to indulge in any activity which will bring down the prestige of the Institute.

R. 13.2 General Conduct in Examination Hall

a) Students should abide by the restrictions imposed by the course faculty member inside the examination hall/ laboratories. The institute policy for discouraging academic dishonesty by students is as follows:

b) Any dishonesty will be reported immediately to Departmental Disciplinary Committee (DDC) and the recommendation of this committee will be final and binding on the students.

c) The Institute Disciplinary Committee (IDC) will be constituted with the faculty member, Dean (Academic), Chairperson (PAC) and the HoD. IDC shall verify the facts of the indiscipline and suggest penal actions according to the level of indiscipline.

R. 13.3 Academic Appellate Committee (AAC)

This committee is constituted for the smooth functioning of the various autonomous under-graduate programs of the Institute and it consists of the following members:

| | |
|---|---|
| Dean (Academic) | Convener |
| Dean (Students) | Member |
| Respective HoD/ Coordinator | Member |

This committee will look into all issues related to course plan, academics, etc., other than the scope of IDC. The committee will meet as and when necessary and recommend remedial or punitive actions, to the Chairperson of the Senate.

R. 13.4 Ragging of any dimension is a criminal and non-bailable offence in our country. The current State and Central legislations provide for stringent punishment, including imprisonment. Once the involvement of a student is established in ragging, they will be dealt severely.

**R14) Attendance**

R. 14.1 75% attendance (in case of medical/ sports/ institute representing, etc.) is mandatory though 100% is encouraged for all the courses.

R. 14.2 Attendance letter grade may appear in grade card.

| Percentage Range | Grades |
|---|---|
| 95-100% | Good |
| 81-94% | Medium |
| 75-80% | Satisfactory |

**R15) Assessment Procedure**

Each course shall be assessed according to the course plan drawn by the faculty member who handles the course. Assessment weightage shall be decided by the faculty member and it is typically as follows:

| S. No. | Assessment Mode | Duration | Weightage |
|---|---|---|---|
| 1 | Assessment – I | 60 mins | 20% |
| 2 | Assessment –II | 60 mins | 20% |
| 3 | Programming/ Demonstrate able/ Problem solving assignment | – | 20% |
| 4 | End Semester Examination | 180 mins | 40% |

**R16) Grading System**

R. 16.1 The letter grades and the corresponding grade points are as follows:

| Letter | S | A | B | C | D | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade Points | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 |

R. 16.2 TheInstitutefollowsrelativegradingwithflexibilitygiventoteacherstodecidethe mark ranges for grades. All assessment of a course will be done on the basis of marks.

R. 16.3 The students shall be placed in any of the bands with letter grades: ‘S’, ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’ and ‘I’ with the credit points of ‘10’, ‘9’, ‘8’, ‘7’, ‘6’, ‘5’, ‘0’, respectively.

R. 16.4 The cut-off mark for completion of a course shall be calculated as $\frac{\overline{X}}{2}$or$\frac{X_{max}}{3}$, which ever is less, where$\overline{X}$ isthemean of the class and $X_{max}$is the maximum scored mark in the class. Students scoring marks above the cut-off mark shall be appropriately placed in top six bands typically 10, 15, 25, 25, 15, 10 percentages respectively. Students scoring less than cut-off mark shall be placed in lower most band (‘I’).

R. 16.5 Teachers can adopt any one of the following logical methods to decide the grades: (a) Normalized curve, (b) Z-score, and (c) Gap theory.

R. 16.6 In general, the ‘S’ grade is restricted to a maximum of 10% of the total number of students

R. 16.7 registered for the course. However, for ELR and project work, the number of students getting the highest grade beyond this limit will be decided by the PAC.

R. 16.8 The grading structure adopted by the subject faculty member is subject to the scrutiny of the PAC and subsequently the Senate.

R. 16.9 Any issues related to grading will be decided by the Dean (Academic) in consultation with the Chairperson of the Senate.

R. 16.10 The Performance Analysis Committee (PAC) shall meet within seven days after the completion of all examinations in a semester. The committee shall analyze the relative cumulative performance of the students in all assessments of a course and finalize the mark range for the letter grades of the course.

R. 16.11 Students who could not appear for the final assessment of any course due to some genuine reasons shall be awarded 'I' grade. Such students are eligible to appear for supplementary exam that should be conducted one week prior to the registration of any semester. The weightage of the assessment shall be the same as that of the final assessment for which the student could not appear. The same faculty member who taught the course will be conducting the assessment and student shall be awarded a suitable grade (ranging from 'S' to 'I'), considering all the previous assessments and the grade ranges.

**R.17 Performance Analysis Committee (PAC)**

R. 17.1 The PAC will consist of the same members as the class committee, but it will include the HoD and exclude the student members. The meeting of the PAC is to be held within seven days from the last day of the last assessment to analyze the performance of the students in all courses of study and finalize the grade ranges for each course. The statement of grades shall be forwarded to the Dean (Academic) immediately after the meeting, through the HoD. The PAC, by collective wisdom, should ensure that the clustering/ grading decisions are reasonable.

R. 17.2 The attendance registers of all the courses along with the assessment marks, grades and grade-ranges entered in the register are also to be sent to the Dean (Academic) immediately through the HoD.

R. 17.3 The Dean (Academic) shall monitor the statement of grades (and the attendance register). In case of any ambiguity that cannot be addressed by the Dean (Academic), the Chairperson (Senate) is authorized to resolve the ambiguity. The results will be declared by the Dean (Academic).

**R. 18 Transparency in Assessment**

R. 18.1 Students can review their evaluated answer scripts of the assessments and can get them re-totaled / re-evaluated by the faculty member concerned.

R. 18.2 The end semester evaluated answer script may be seen by the students within the specified duration, preferably within two weeks after the re-opening of the next semester and got them re-totaled by the faculty member concerned if required. This may or may not change the grades.

R. 18.3 If revaluation of end-semester answer script is required on genuine reasons, it will be admitted by the HOD/ Director of the institute.

R. 18.4 However, if there is any grievance in the re-evaluation of an assessment task, which is not settled by the faculty-in-charge of the course/ HoD, the Dean (Academic) after verifying whether the grievance is genuine can recommend to the Chairperson of the Senate for appropriate remedial measures.

R. 18.5 The grade change, if any, as a result of re-totaling/ revaluation, etc., shall be admitted by the Chairperson, Senate.

R. 18.6 **Retention of Assessment Material**

The answer scripts (all modes of assessments) shall be retained with the faculty members at least for two academic years to facilitate academic audit. Afterwards, the material will be disposed-off/ destroyed permanently by the faculty member.

**R. 19 Absentee Assessment**

R. 19.1 If student is absent during any of the class assessments due to some genuine reason, then for such students the assessment will be conducted a week after the End-Semester exams.

R. 19.2 Student absent in assessment looses the respective weightage.

R. 19.3 Student will be assigned an INCOMPLETE 'I' grade if absent for end-semester examination.

R. 19.4 Before the commencement of every semester (except First semester), the student with INCOMPLETE grade 'I' will appear for Supplementary Examination.

R. 19.5 Conduct of Supplementary Examination

Students with 'I' grade will register for supplementary examination. Supplementary exam will be conducted a week prior to the registration of any semester. 'I' grade should be converted to appropriate grade, considering the earlier continuous assessments and the grade ranges.

**R. 20 Grade Cards**

R. 20.1 After the results are declared, Grade Cards will be issued to each student which will contain the list of courses for that semester with attendance grade, credits, and the grades obtained by the student along with the year of passing.

R. 20.2 Semester Grade Point Average (SGPA) is the ratio of the sum of the products of the number of credits of a course $(C_i)$ and the grade points scored in that course $(GP_i)$, taken for all the courses, to the sum of the number of credits of all the courses $(n)$ in the semester;

$$SGPA = \frac{\sum_1^n C_i \times GP_i}{\sum_1^n C_i}$$

where, *n* is the number of courses in that semester.

R. 20.3 The Cumulative Grade Point Average (CGPA) will be calculated for every semester as follows:

$$CGPA = \frac{\sum_1^N C_i \times GP_i}{\sum_1^N C_i}$$

Where $(C_i)$ are the credits and $(GP_i)$ are the grade points obtained by the student in all the $N$ courses upto this semester.

**R. 21 Project Work (PW)**

R. 21.1 The project evaluation for the B.Tech. Program shall be carried out by a Project Monitoring Committee (PMC) comprising, the HoD or the nominee (Chairperson), project coordinator and the project guide(s).

R. 21.2 The continuous assessment of the project work is as follows:

Project Work Phase – I, will be evaluated at the end of V semester.

Project Work Phase – II, will be evaluated at the mid and end of VII semester.

Project Work Phase – III, will be evaluated in VIII semester as follows:

| Internal Assessment | Weightage | Schedule |
|---|---|---|
| First Review | 10% | Six weeks from the commencement of the semester |
| Second Review | 20% | Ten weeks from the commencement of the semester |
| DEMO | 30% | Two weeks before commencement of End Semester Exam |

R. 21.3 The final project viva-voce will have 40% weightage and shall be conducted by the Project Monitoring Committee (Guide and HoD or the nominee) along with an internal/external examiner from IISc/ IITs/ NITs/ IIITs/ Government Research Laboratories/ Government and Government aided Institutions/ Public sector undertaking.

R. 21. 4 Permission for project work in the second year of the B.Tech. Program in general will be given to innovative and reputed Industry/ Institute related work. Such projects will be monitored in every semester until the VIII semester. If the progress remains satisfactory, the students may continue the same project up to VIII semester.

**R. 22 Internship**

R. 22.1 The student should undergo industrial training/internship for a minimum period of five months during the 6th semester in any of the reputed industry, Government-sponsored Research and Development Organization. Attachment with an academic institution within the country (**IISc/ IITs/ NITs/ IIITs** and **CFTIs**) or foreign universities are also permitted for the exceptional cases with special permission in lieu of industrial training.

R. 22.2 Students should submit a report during the last week of May along with the certificate obtained from the industries, R&D organizations, or Academic Institutes. The performance in the internship will be evaluated based on the report and viva-voce examination. The examiners for the viva-voce examination shall be the HoD and the program coordinator or the nominees.

**R. 23 Scholarship**

At present, the institute is not offering any Institute level scholarship. However, students can avail scholarships from Government of India/ State Government and others, if any as per the eligibility. Moreover, if scholarships are granted by any stakeholders or other agencies at institute level, the same shall be made available to the students.

**R. 24 Eligibility for Award of B.Tech. Degree**

A student shall be eligible for the award of the degree of the Bachelor of Technology (B. Tech.) only if:

a) Student has undergone the prescribed program of study by earning the minimum total number of credits specified in the curriculum of the relevant program of study.
b) Student has a minimum CGPA of 5.
c) Student has no dues to the Institution, Library, Hostels, etc.
d) Student has no disciplinary action pending against them.

**R. 25 Eligibility for Award of B.Tech. (Honors) Degree**

A student shall be eligible for award of the degree of the Bachelor of Technology (Honors) only if:

a) Studenthasundergone prescribed program of study with a SGPA of 8 and above in first four semesters.
b) Student has completed the prescribed four additional, recognized and approved open elective (NPTEL/ SWAYAM/ MOOCs) courses by the institute of three credits each from V semester.
c) Student has scored a SGPA of 8.5 and above from V to VIII semesters.
d) Student has scored an overall CGPA of 8.5 and above in all semesters.
e) Student has no backlogs and disciplinary action.
f) Student registered for B. Tech. (Honors) but failed to fulfill (a) and (e) will be awarded B. Tech. subject to satisfying clause R. 24.

**R. 26 Power to Modify**

Notwithstanding all that has been stated above, the Senate has the right to approve any modifications brought out at a later date.

**R. 27 Legal Challenge**

Any clause/provision stated in the rules and regulations if challenged in the Court of Law subject to jurisdiction of Una, the decision of the Court shall be binding.

[F. No. 52-2/2017–TS.I]

SUKHBIR SINGH SANDHU, Addl. Secy. (TE)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2019

**का.आ. 3816(अ).**—भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 (2017 का 23), की धारा 34 (1) (2) और (3) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासी बोर्ड के अनुमोदन से सीनेट, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत के निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है।